

दिवालिया कानून: समाधान की तलाश

इंदिवजल धर्माना



**मौजूदा दिवाला और
शोधन अक्षमता संहिता
(आईबीसी) यह संहिता
पहले की निपटान प्रणाली
से बिल्कुल अलग है क्योंकि
यह कॉरपोरेट देनदार के
खिलाफ निपटान प्रक्रिया को
शुरू करने की जिम्मेदारी
लेनदार को सौंपती है।
पहले की व्यवस्था इससे
अलग थी। उसमें देनदार ही
निपटान प्रक्रिया चालू करता
था, जबकि लेनदार को
बकाया कर्ज की वसूली के
लिए कानूनी कार्रवाई करनी
पड़ती थी।**

वर्ष 2018 में भारत ने कारोबार सुगमता सूची में अपनी स्थिति सुधार ली। इस सूची को हर वर्ष विश्व बैंक जारी करता है। भारत ने 30 अंकों की छलांग लगाकर अब 103वें स्थान पर अपनी जगह बना ली है। हालांकि भारत अब भी निचली पायदान पर खड़ा है, पर पिछले वर्ष की तुलना में उसकी स्थिति बेहतर हुई है। पिछले कई वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही थी। इस सूची में भारत की कदमताल भी धीमी ही थी। 2016 में भारत इस सूची में 136वें स्थान पर था और उससे पिछले वर्ष यानि 2015 में 137वें स्थान पर। अब स्थिति में जो सुधार हुआ है, उसका एक कारण दिवालिया कानून में होने वाले तमाम बदलाव भी हैं।

दिवालिया कानून में बदलाव की पहल 2016 में शुरू हुई, जब सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) जैसे रेगुलेटर के साथ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को लागू किया। हालांकि व्यक्तियों और पार्टनरशिप कंपनियों के लिए इस संहिता के प्रावधानों को अभी अधिसूचित नहीं किया गया है। चूंकि इस संबंध में फिलहाल नियम जारी नहीं किये गये हैं। कोई व्यक्ति या कंपनी दिवालिया तब होते हैं जब वे अपने द्वारा लिये गये ऋण को चुकाने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कर्ज को पुनर्गठित किया जाता है। फिर भी अगर कर्ज का निपटारा नहीं होता तो व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा

सकती है। अगर मामला किसी कंपनी का होता है तो कर्ज के पुनर्गठन का विकल्प तलाशने के बाद दूसरा विकल्प यह होता है कि ऋणदाताओं को भुगतान करने के लिए परिसंपत्तियों को बेच दिया जाए।

व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए न सिर्फ उसमें प्रवेश के रास्ते सरल बनाए जाने चाहिए, बल्कि उससे निकासी भी सहज होनी चाहिए। दिवालिया होने की स्थिति में व्यापार से निकासी की प्रक्रिया समयबद्ध होनी चाहिए। इस संहिता ने इन दोनों स्थितियों को आसान बनाने का रास्ता सुझाया है।

इस अधिनियम के लागू होने से पहले दिवाला समाधान प्रक्रिया में लंबा समय लग जाता था। मुकदमेबाजी में भी समय बर्बाद होता था। इसका एक कारण कानूनों की जटिलता थी। दिवालिया समाधान के लिए हमारे देश में लगभग 12 कानून हैं। जैसे सविदा अधिनियम, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम इत्यादि। इस कारण अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे थे। साथ ही बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान भी प्रभावहीन थे।

इनके अतिरिक्त दो कानून- प्रेसीडेंसी टाडन दिवालियापन अधिनियम 1909 और प्रांतीय दिवालियापन अधिनियम 1920 व्यक्तियों के दिवालिया होने से संबंधित थे। लेकिन इन दशकों पुराने कानून का

लेखक समाचार पत्र विजनेस स्टैंडर्ड में आर्थिक विषयों के संपादक हैं। इससे पहले वे समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मुख्य वित्तीय संवाददाता के तौर पर कार्यरत थे। इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव है। आर्थिक नीतियों, कराधान और माइक्रो इक्नार्मिक्स इनके मुख्य विषय रहे हैं। ईमेल: indivjal@gmail.com

आईबीबीआई ने जारी किए नये निशानिर्देश

तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने निम्नलिखित मामलों के लिए आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के विनियम के तहत प्रमुख सेवाओं के कार्य-निष्पादन के तकनीकी मानदंड निर्धारित किए हैं:

- 1) सेवा का मानक समय;
- 2) प्रयोक्ता का पंजीकरण;

- 3) प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रयोक्ता के लिए विशिष्ट पहचान;
- 4) सूचना प्रस्तुत करना;
- 5) व्यक्ति की पहचान और सत्यापन;
- 6) सूचना का प्रमाणीकरण;
- 7) सूचना का सत्यापन;
- 8) आंकड़ों की सत्यता;
- 9) तृतीय पक्षकारों को सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए सहमति की रूपरेखा;
- 10) प्रणाली की सुरक्षा;
- 11) सूचना की सुरक्षा;
- 12) जोखिम प्रबंधन रूपरेखा;
- 13) सूचना का संरक्षण; और
- 14) सूचना का परिष्करण।

लागू तकनीकी मानदंडों के अनुसार होगी। ये दिशानिर्देश www.meaindia.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं। □

भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। यह नयी संहिता इन दोनों कानूनों को निरस्त करती है। संहिता की धारा 243 में इन कानूनों को रद्द करने का प्रावधान है। हालांकि इन्हें अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

दिवालिया संहिता में दो अधिकरणों की स्थापना की गयी है— राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) और ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के क्षेत्राधिकार में कंपनियां और लिमिटेड लायब्रिलिटी पार्टनरशिप आएंगी और ऋण वसूली अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति और पार्टनरशिप कंपनियां आएंगी।

यह संहिता समस्याग्रस्त कंपनियों के निपटान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया तैयार करती है। अगर डीफॉल्ट एक लाख रुपये से अधिक का होता है, तो लेनदार दिवालिया निपटान प्रक्रिया शुरू कर सकता है और एनसीएलटी में गुहार लगा सकता है।

यह संहिता पहले की निपटान प्रणाली से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ निपटान प्रक्रिया को शुरू करने की जिम्मेदारी लेनदार को सौंपती है। पहले की व्यवस्था इससे अलग थी। उसमें देनदार ही निपटान प्रक्रिया चालू करता था, जबकि लेनदार को बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती थी। हालांकि कॉरपोरेट देनदार भी इस निपटान प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता था।

संहिता के नियमों के अनुसार एक बार मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण के पास पहुंचा तो निपटान प्रक्रिया 180

दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। इस अवधि को 90 दिनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

छोटी कंपनियों के लिए यह प्रावधान थोड़ा भिन्न है। इनकी निपटान प्रक्रिया को 90 दिनों में पूरा किया जाना चाहिए। इस अवधि को 45 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह प्रावधान 50 लाख रुपये तक की भुगतान पूँजी या दो करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियां और स्टार्टअप्स के लिए है। इस फास्ट ट्रैकिंग प्रणाली को ऐसी गैर सूचीबद्ध कंपनियां भी चुन सकती हैं जिनकी परिसंपत्ति पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये थी।

निपटान प्रक्रिया के दौरान ऋणदाता आकलन करता है कि देनदार के कर्ज का पुनर्गठन किया जाए या कारोबार को पुनर्जीवित किया जाए। इस दौरान लेनदार किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता। अगर निपटान प्रक्रिया सफल नहीं होती तो परिसंपत्ति की बिकवाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

लाइसेंसशुद्ध दिवाला पेशेवरों (आईपीजे) द्वारा निपटान प्रक्रियाएं चालू

निपटान प्रक्रिया के दौरान ऋणदाता आकलन करता है कि देनदार के कर्ज का पुनर्गठन किया जाए या कारोबार को पुनर्जीवित किया जाए। इस दौरान लेनदार किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकता। अगर निपटान प्रक्रिया सफल नहीं होती तो परिसंपत्ति की बिकवाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

की जाती हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंसी, कंपनी सचिव, कॉस्ट एकाउंटेंसी, बकालत अथवा प्रबंधन में कम से कम दस वर्ष का अनुभव प्राप्त व्यक्ति आईपी हो सकता है। इसके लिए उसे इनसॉल्वेंसी परीक्षा भी पास करनी होगी। कोई अन्य व्यक्ति भी राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा पास करके आईपी बन सकता है।

एनसीएलटी आवेदन मंजूर होने के 14 दिनों के भीतर आईबीबी द्वारा पुष्टि करने पर अंतरिम आईपी नियुक्त करता है। अंतरिम आईपी का कार्यकाल 30 दिनों का होता है। वह देनदार की परिसंपत्तियों और कंपनी के प्रबंधन को नियंत्रित करता है तथा सूचना केंद्र (इनसॉर्मेशन यूटिलिटी) से देनदार की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। वह लेनदार समिति का गठन करता है। कॉरपोरेट देनदार से संबंधित लेनदारों को छोड़कर शेष सभी वित्तीय लेनदार इस समिति के सदस्य होते हैं। आपरेशनल लेनदारों को भी समिति का हिस्सा होना चाहिए लेकिन बिना मतदान के अधिकार के। हां, उनका बकाया, कुल बकाया राशि का कम से कम दस प्रतिशत होना चाहिए।

गठन के सात दिनों के भीतर लेनदार समिति बैठक करेगी। इस बैठक में 75 प्रतिशत बोटों के साथ यह फैसला किया जाएगा कि अंतरिम आईपी को निपटान पेशेवर नियुक्त करे अथवा नहीं। इसके बाद आईपी एनसीएलटी द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

संहिता प्रावधान करती है कि परिसंपत्तियों को बेचने के बाद जो धन प्राप्त होगा, उसका वितरण किस प्रकार किया

जाएगा। इसके लिए एक वरीयता क्रम तय किया गया है। इस क्रम में सुरक्षित लेनदारों को पूरी बकाया राशि दी जाएगी। असुरक्षित लेनदारों को कारोबारी लेनदारों से ऊपर रखा गया है। इसके बाद सरकार का बकाया चुकाया जाएगा।

इस प्रक्रिया से समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। चूंकि इस वरीयता क्रम में कुछ बिल्डरों को नहीं रखा गया है। इसलिए मकान के खरीदारों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विरोधों के बाद दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने मकान के खरीदारों को नया फॉर्म एक जारी किया है लेकिन वे अभी भी वरीयता क्रम में शामिल नहीं हैं।

सहिता के लागू होने के बाद अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, दिवालिया सहिता के तहत देश की पहली दिवालिया निपटान योजना में एनसीएलटी ने 90 प्रतिशत से अधिक के हेयरकट की अनुमति दी। हेयरकट का अर्थ है, ऋण में छूट देना। सिनर्जीज़-डोरे ऑटोमेटिव एल्यूमीनियम अलॉय व्हील्स का निर्माण और विश्वस्तरीय कार निर्माता कंपनियों को उनकी आपूर्ति करती थी। उसके दिवालिया होने पर उसका अधिग्रहण सिनर्जीज़ कास्टिंग ने किया। इसके बाद एनसीएलटी ने सिनर्जीज़ कास्टिंग से 900 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि में से 54 करोड़ रुपये लेनदारों को चुकाने का आदेश दिया।

एनसीएलटी ने कंपनी से इस कुल राशि में से 20 करोड़ रुपये का भुगतान एडवांस में करने को कहा। बकाया राशि पांच साल में चुकानी होगी। ऋण की मूल राशि 215 करोड़ रुपये थी। शेष 685 करोड़ रुपये में ब्याज, साविधिक देय राशि और अन्य लेनदारों के भुगतान शामिल हैं।

सिनर्जीज़-डोरे का मामला उन 93,000 मामलों में से एक है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) में लंबित थे और आईसीसी के तहत एनसीएलटी को स्थानांतरित कर दिये गये थे। यह मामला सहिता के तहत दायर होने वाले शुरुआती मामलों में से एक था।

इससे पूर्व सरकार मई में एक अध्यादेश जारी कर चुकी है जिसके स्थान पर सरकार

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 लेकर आयी है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को व्यापक शक्तियां प्रदान की गयीं ताकि वह बकाया ऋणों की वसूली के लिए लेनदारों को दिवालिया निपटान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी कर सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीज़) की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए (खातों में फंसे कर्ज) उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। विजली, इस्पात, सड़क अवसंरचना और वस्त्र जैसे क्षेत्रों की कंपनियों की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है।

अध्यादेश के बाद आरबीआई ने बैंकों को सहिता के अंतर्गत निपटान के लिए 12 सबसे बड़े ऋणों की जानकारी देने

नीलामी प्रक्रिया में प्रमोटरों के शामिल होने का मामला अभी अस्पष्ट है। फिलहाल सरकार ने सहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश विलफुल डीफॉल्टर, संदिग्ध प्रमोटरों को तो बोली लगाने से प्रतिबंधित करता ही है, साथ ही एनसीएलटी में जिन कंपनियों के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं, उनके प्रमोटरों और सिस्टर कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने से रोकता है। इस संबंध में अध्यादेश ने सहिता में धारा 29 को शामिल किया है।

को कहा। आरबीआई ने अपनी आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया। उसने कहा कि इन मामलों को जल्द से जल्द, एक निश्चित समय सीमा में निपटाया जाना चाहिए।

जिन 12 कंपनियों के नाम इस सूची में शामिल हैं, वे हैं- भूषण स्टील, लैंको इंफ्रा, एस्सार स्टील, भूषण पावर, आलोक इंडस्ट्रीज, एमटेक ऑटो, मोनेट इस्पात, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स, एरा इंफ्रा, जेपी इंफ्राटेक, एबीजी शिपयार्ड और ज्योति स्ट्रक्चर्स। बैंकों के कुल एनपीए में इन कंपनियों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। इस वर्ष मार्च तक भारतीय बैंकों में कुल 7.11

लाख करोड़ रुपये का एनपीए था, जिसका मतलब है कि इन 12 कंपनियों के हिस्से 1.78 लाख करोड़ रुपये आता है।

वित्तीय सेवा कंपनी मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा कैलेंडर वर्ष के पहले नौ महीनों में दिवालिया निपटान प्रक्रिया के अंतर्गत 376 मामले एनसीएलटी को सौंपे गये हैं। इनमें 187 मामले ऑपरेशनल लेनदारों, 122 मामले वित्तीय लेनदारों और शेष देनदारों द्वारा दायर किये गये हैं।

इन मामलों के हल होने से कॉरपोरेट ऋणदाताओं को लाभ होगा। हालांकि, शुरुआत धीमी है। रिपोर्ट के मुताबिक केवल दो मामलों का निपटान किया जाएगा यानि उन्हें हेयरकट प्राप्त होगा। सात मामलों में कंपनियों का परिसमापन किया जाएगा और अन्य 14 के संबंध में आगे अपील की जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एनसीएलटी को सौंपे गये 12 मामलों में हेयरकट का प्रस्ताव रखा गया है।

दूसरी समस्या यह है कि प्रमोटर ही अपनी कंपनियों के लिए बोलियां लगा रहे हैं। इसका हल निकालने के लिए सहिता के अंतर्गत नियमों को संशोधित किया गया है ताकि संदिग्ध प्रमोटर कंपनियों पर दोबारा कब्जा न कर पाएं। ऐसा करने से ऋणदाताओं की शंकाओं और भय को दूर किया जा सकेगा। चूंकि ऋणदाता इस बात के लिए परेशान होते हैं कि समस्या उत्पन्न करने वाले ही कम कीमत में कंपनी दोबारा हासिल न कर लें।

सहिता के अंतर्गत डीफॉल्टर किसी को कंपनी को दोबारा नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि समिति द्वारा उनकी जांच की जाएगी। दिवालिया कंपनियों के लिए बोली लगाना भी मुश्किल होगा क्योंकि इससे संबंधित नियमों को भी सख्त बनाया गया है। संशोधित नियमों के अंतर्गत दिवालिया पेशेवर के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रस्तावित ऋण योजना की पूरी जांच की गयी है। इस योजना में ऐसे सभी विवरण शामिल होने चाहिए जिनकी मदद से प्रमोटरों सहित निपटान का प्रस्ताव रखने वालों का मूल्यांकन किया जा सके। यह देखा जा सके कि वे भरोसेमंद हैं

अथवा नहीं। इसी प्रकार प्रमोटरों की ऋण योग्यता और विश्वसनीयता की कड़ी जांच की जा सकेगी।

इस योजना में निपटान का प्रस्ताव रखने वाले की भी पूरी जानकारी होगी, जैसे अपराध सिद्धि, अयोग्यता, आपराधिक कार्यवाहियां, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार विलफुल डीफॉल्टर (स्वैच्छिक चूक करने वाला) के रूप में वर्गीकरण, सेबी द्वारा प्रतिबंध लगाना। हालांकि, नीलामी प्रक्रिया में प्रमोटरों के शामिल होने का मामला अभी अस्पष्ट है। फिलहाल सरकार ने संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया है। अध्यादेश विलफुल डीफॉल्टर, संदर्भ प्रमोटरों को तो बोली लगाने से प्रतिबंधित करता ही है, साथ ही एनसीएलटी में जिन कंपनियों के खिलाफ मामले दायर किए गए हैं, उनके प्रमोटरों और सिस्टर कंपनियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने से रोकता है। इस संबंध में अध्यादेश ने संहिता में भाग 29 को शामिल किया है।

अध्यादेश के अनुसार जिन कंपनियों के खाते में एक वर्ष से अधिक के एनपीए हैं, उनके प्रमोटर या सिस्टर कंपनियां नीलामी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकतीं। अध्यादेश सैद्धांतिक रूप से तो प्रमोटरों को प्रतिबंधित नहीं करता, चूंकि वे मूलधन और बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं और एक वर्ष पूरा होने से पहले एनपीए को सामान्य परिसंपत्ति में बदल सकते हैं।

हालांकि एनसीएलटी द्वारा दिवालिया निपटान मामले को स्वीकार करने के बाद ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि प्रमोटर या उनके सहयोगियों में से कोई भी उपरिलिखित 12 बड़े खातों के स्ट्रेस्ड एसेट्स को नहीं खरीद सकते।

इसके अतिरिक्त कॉरपोरेट जमानतदार भी इन कंपनियों की नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। इसमें होल्डिंग कंपनी या स्ट्रेस्ड एसेट्स के प्रमोटरों से संबंधित पक्ष भी शामिल हैं।

यहां 'प्रमोटरों से संबंधित पक्ष' की परिभाषा का उल्लेख किया जाना जरूरी है। उदाहरण के लिए आर्सेलर मित्तल जैसी कंपनी एक साल से अधिक समय से एनपीए की सूची में शामिल है। उसने उत्तम गल्वा

के स्ट्रेस्ड एसेट्स की नीलामी में दिलचस्पी दिखाई है। क्या वह इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य है?

आर्सेलर मित्तल इस संबंध में बहुत जोर भी दे रही है कि उसे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए। उसका दावा है कि वह उत्तम गल्वा में गैर-नियंत्रित अल्पमत शेयरधारक है। कंपनी के निर्देशक बोर्ड में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, न ही प्रबंधकीय निर्णयों में उसकी कोई भागीदारी है। वह उत्तम गल्वा की प्रमोटर भी नहीं है और इसलिए उसे पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत किसी भी स्टील परिसंपत्ति के लिए बोली लगाने से नहीं रोका जा सकता।

दिवालिया संहिता के तहत अधिकरण में जिन 12 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें से पांच स्टील कंपनियों और एमटेक ऑटो के लिए संभावित खरीदारों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन 12 खातों के अलावा आरबीआई ने बैंकों को 29 कंपनियों की दूसरी सूची भी दी है ताकि 13 दिसंबर तक दोनों पक्षों द्वारा एनपीए का समाधान किया जा सके। अन्यथा इन खातों को एनसीएलटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

वैसे मिलगानी परिवार उत्तम गल्वा का सर्वोच्च है। इस कंपनी में आर्सेलर मित्तल की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत है। हां, मुंबई स्टॉक एक्सेंज में इस कंपनी के प्रमोटरों में आर्सेलर मित्तल को भी सूचीबद्ध किया गया है।

दिवालिया संहिता में संबंधित पक्ष की परिभाषा कुछ इस प्रकार है— संबंधित पक्ष वह होता है, जिसका समस्याग्रस्त (डिस्ट्रेस्ड) कंपनी में वोटिंग का अधिकार 20 प्रतिशत से अधिक है और जो 2 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ पब्लिक कंपनी में निदेशक है।

हालांकि सेबी एक्ट कहता है कि प्रमोटर और प्रमोटर समूह वह है जिसकी किसी कंपनी में 10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है और जिसका कंपनी पर नियंत्रण है।

इसलिए संबंधित पक्ष की परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए जिससे यह पता चले कि किसे नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है और किसे नहीं।

दिवालिया संहिता के तहत अधिकरण में जिन 12 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनमें से पांच स्टील कंपनियों और एमटेक ऑटो के लिए संभावित खरीदारों के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

इन 12 खातों के अलावा आरबीआई ने बैंकों को 29 कंपनियों की दूसरी सूची भी दी है ताकि 13 दिसंबर तक दोनों पक्षों द्वारा एनपीए का समाधान किया जा सके। अन्यथा इन खातों को एनसीएलटी के सुपुर्द कर दिया जाएगा।

इस संबंध में एक और तर्क पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली सूची में जिन 12 खातों को शामिल किया गया है उन्हें दूसरी सूची में शामिल 29 खातों की तरह पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया गया। चूंकि दूसरी सूची के लिए बैंकों को दिवालिया निपटान के लिए काफी समय दिया जा रहा है। पहली सूची में शामिल 12 मामलों को अधिकरण के सुपुर्द किये जाने से पहले इतना बक्त व्यापक क्यों नहीं दिया गया।

ऐसे विवाद और समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन व्यापार में प्रवेश या निकास से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने से भारत में व्यापार करना सुविधाजनक होगा। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रक्रिया में भी इतना विलंब न हो जाए कि कंपनियों के लिए कारोबार करना एक उबाऊ काम हो जाए।

फिलहाल सिनर्जी डोरे मामले में एडलवाइस एआरसी ने रीकास्ट योजना का विरोध करते हुए अपीलीय अधिकरण - राशीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखाया है। सिनर्जीज कास्टिंग्स, सिनर्जी डूरे की संबंधित पक्ष है। अध्यादेश में इस संबंध में तो प्रावधान मौजूद है। हालांकि सिनर्जी डॉरे और सिनर्जी कास्टिंग्स पर बड़ा आरोप यह है कि दोनों कंपनियों के बीच नकली लेनदेन किया गया है। फिलहाल अधिकरण इस मामले की सुनवायी कर रहा है। □